द्वारा ई–मेल/डाक

राजस्थान पैरामेडिकल कौंसिल, जयपुर

सी–7(ए) सुल्तान हाउस सवाई जयसिंह हाईवे बनीपार्क जयपुर –302016
Website : rajasthanparamedicalcouncil.org, Contact : 0141-4004914
Email-id pmcrajasthangov.in@gmail.com.

क्रमांकः पैरामेडि.कौं./मान्यता/2023/725 **दिनांक** 27.09.2023

प्रधानाचार्य/सचिव/निदेशक
समस्त मान्यता प्राप्त राजकीय पैरामेडिकल संस्थान/महाविद्यालय
राजस्थान।

विषय :– मान्यता/संबंद्धता शुल्क सत्र 2023–24 जमा करवाने के क्रम में।

राजस्थान पैरामेडिकल कौंसिल, जयपुर की बैठक दिनांक 28.02.2023 में लिये गये निर्णयानुसार राजस्थान पैरामेडिकल कौंसिल द्वारा डिप्लोमा पैरामेडिकल पाठ्यक्रमों के संचालन हेतु मान्यता प्राप्त महाविद्यालयों/संस्थाओं द्वारा नियमानुसार प्रतिवर्ष प्रति कोर्स/पाठ्यक्रम 25 सीट हेतु राशि 50,000/– एवं 50 सीटो हेतु 1,00,000/– तथा इससे अधिक सीट होने पर सीटो के संख्या के अनुपातिक रूप में लिये जाने एवं निर्धारित अवधि में जमा नहीं कराये जाने पर 10,000/– रूपये शास्ति राशि देय होगी।

कौंसिल द्वारा मान्यता प्राप्त सभी राजकीय महाविद्यालयों/संस्थाओं को निर्देशित किया जाता है कि वे निर्धारित वार्षिक मान्यता/संबंद्धता शुल्क दिनांक 03.10.2023 से 13.10.2023 तक बिना विलम्ब शुल्क तथा दिनांक 16.10.2023 तक 10,000/– रूपयें (प्रति कोर्स) विलम्ब शुल्क सहित जमा कराना सुनिश्चित करें।

शीघ्र ही शैक्षणिक सत्र 2023–24 के लिए प्रवेश प्रक्रिया प्रारम्भ की जा रही है। निर्धारित तिथि तक मान्यता शुल्क जमा नही करवाने एवं शपथ पत्र पेश नहीं करने वाली संस्थानो/महाविद्यालयों को सत्र 2023–24 की प्रवेश प्रक्रिया की काउन्सलिंग में शामिल नहीं किया जायेगा तथा महाविद्यालय/संस्थान की मान्यता समाप्त कर दी जावेगी।
संलग्न :– उपरोक्तानुसार।

(सुरेश चौधरी)
R.A.S.
रजिस्ट्रार

क्रमांकः पैरामेडि.कौं./मान्यता/2023/ **दिनांक**

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निजी सचिव अतिरिक्त मुख्य सचिव, महोदया चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, जयपुर।
2. संयुक्त शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप–3) विभाग, जयपुर।
3. अध्यक्ष महोदय, राजस्थान पैरामेडिकल कौंसिल, जयपुर।
4. प्रभारी सर्वर रूम को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश आज ही वेबसाईट पर अलपोड करें।
5. रक्षित पत्रावली।

रजिस्ट्रार